रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्य प्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **06/12/01/11963/17**

यह प्रमाणित किया जाता है कि **जन मानवोदय सोशल वेलफेयर समिति**,समिति जो **मकान नंबर १०४/१ टौरिया मोहल्ला साहू मार्ग वार्ड नंबर ०४ छतरपुर मध्य प्रदेश** तहसील **छतरपुर** जिला **छतरपुर** में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन **08 मार्च 2017** को पंजीयित की गई है।

Signature valid

Digitally Signed By Mohammed Javed Qureshi

(Personal)

Date : 08-Mar-2017 18:59:52 IST

दिनांक 08 मार्च 2017

समितियों के रजिस्ट्रार

Note : This is a Digitally Signed document On 08/03/2017 06:51 PM

समिति का पंजीयन क्र....11963
समिति का पंजीयन दि....8/3/2017
संशोधन नस्तीबद्ध का दि....5/11/2020

जावक क्र. 1369/20
दि. 16/12/2020

अति. रजिस्ट्रार

प्रारूप क्रमांक–1
(देखिये नियम 3)
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन–पत्र (संशोधित)

(1) समिति का नामः– "जन मानवोदय सोशल वेलफेयर समिति" होगा ।
(2) समिति का कार्यालयः– म.नं.104/01 टौरिया मुहल्ला साहू मार्ग, वार्ड नं.04 छतरपुर तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) पिन. 471001 होगा।

(3) **समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः–**

1. सर्व धर्म जाति वर्गो के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का उनके सहयोग से तथा स्वतंत्र तौर पर एकल एवं सामूहिक कार्यक्रमों का सम्पादन एवं संचालन करना ।
2. महिलाओं/युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनााने का प्रयास करना ।
3. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए शिक्षण संस्थान/उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना ।
4. महिलाओं एवं युवाओं को आत्मनिर्भर एवं निराश्रित व्यक्तियों परित्यक्ता महिला विधवा एवं विकलॉगों को सामाजिक सम्मान पुनर्वास एवं सामाजिक सहायता दिलाना ।
5. शिक्षा - समस्त प्रकार की शिक्षा,स्कूल शिक्षा.उच्च शिक्षा (कॉलेज),विश्वविद्यालय,स्वस्थ्य शिक्षा ,चिकित्सा/सह चिकित्सा शिक्षा, आई.टी.आई., कम्प्यूटर, जैसी तकनीकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार,विकास एवं संचालन करना.(शासन वा संबंधित विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कर)स्कूल गैर व्यवसायिक कॉलेज की स्थापना करना एवं उन्हें सुचारू रूप से चलाना ,शारीरिक शिक्षा खेल एवं स्वस्थ्य से संबंधित कार्य करना.कम्पूटर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर प्रशिक्षण देना . युवक –युवकों को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण जेसे – रेफ्रीजरेशन , टी.वी.रिपेयरिंग , बुक बाईडिंग , फोटोग्राफी ,मोटर वाईडिंग , लेदर वर्क ,कारपेंटरी मोबाईल रिपेरिंग इत्यादी के हुनर का प्रशिक्षण देना
6. पर्यावरण - पर्यावरण सुधार के लिए वर्कशॉप,सेमिनार,जागरूकता एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना, पर्यावरण संरक्षण ,स्वास्थ्य परिस्थतिकीय विज्ञान संप्रेषण, पर्यावरण सुरक्षा एवं पेयजल की व्यवस्था करना ,जल संवर्धन का कार्य करना , वाटरशेड योजना में भाग लेना , पर्यावरण हितेषी और सामाजिक तौर पर उचित तकनीको के द्वारा शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु कार्य करना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं पोधशाला स्थापना के लिए कार्य करना
7. स्वच्छता-समिति द्वारा ग्राम , नगर,पंचायत स्तर पर संपूर्ण स्वच्छता के लिए गंदा जल निकास एवं कचरा निस्तारण हेतु उचित प्रबन्धन एवं स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु कार्य करना
8. महिलाओ के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए सिलाई,कढाई ,बुनाई फेशन डिज़ाइन,कला,नृत्य ,गायन ,वादन ,ब्यूटी पार्लर ,मेंहदी, बुटिक ,कांच ,मोती की डिज़ाइन आदि कलाओ का प्रशिक्षण देना
9. शिक्षा के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास तथा सामाजिक विकास की शिक्षा देना व बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए समाज को प्रेरित करना
10. छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना एवं समय.समय पर कम्प्यूटर एवं दूरसंचार के प्रति जनचेतना के लिए प्रदर्शनियों , सेमिनारों व अन्य सांस्कृतिक व सामाजिक क्रियाकलापों का आयोजन करना ।

President/Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary/Treasurer
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

समिति का पंजीयन क्र. 11963
समिति का पंजीयन दि. 8/3/17
संशोधन नस्तीबद्ध का दि. 25/11/2020

अति. रजिस्ट्रार

11 खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा संत व् महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन एवं संचालन करना तथा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरुस्कृत एवं सम्मानित करना.टेबल टेनिस,बालीबाल,तैराकी,तीरंदाजी आदि जैसे खेलों को प्रोत्साहन प्रसिक्षण एवं प्रतियोगिता का आयोजन करना, किकबॉक्सिंग, कबड्डी, जूडो, कराटे, ताईक्वान्डो, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं टूर्नामेंट व् प्रतियोगिताओं का आयोजन करना,एथलेटिक्स खेलों व् विभिन्न खेलों के आयोजन करना व् राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए प्रतियोगिताएं तथा नाटक काव्य गोष्ठियों का आयोजन करना.यातायात शिक्षा देना

12 विद्युत् बिलों के संग्रहण में शासन को सहयोग करना व विद्युत् बचत के लिए जनता को प्रेरित करना

13 आंगनवाडी में शासन की योजनाओ के क्रियान्वयन के लिए पोषण आहार वितरण कार्यक्रम में सहयोग करना

14 अनूसूचित जाती,जनजाति,पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग वा निर्धन शहरी एवं ग्रामीण युवकों,महिलाओं को जागरूकता शिविर के माध्यम से आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रसिक्षण देना.समाज में निरक्षरता उन्मूलन हेतु महिलाओं,पुरुषों एवं कामकाजी बच्चो के लिए रात्रि पाठ्शाला तथा प्रोढ़ शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करना एवं राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन करना

15 बालक - बालिकयों के शारीरक विकास हेतु बाल व्यायाम केंद्र मानसिक विकास हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालय, चारित्रिक विकास आत्म निर्भर बनाने हेतु बाल प्रयोग शालाएं, जिज्ञासु व बुद्धि के विकास हेतु बाल कोतुकालय जीवन के प्रति कला एवं आनंद की वृद्धि तथा कोमल भाव के विकास हेतु बाल तथा अभिनव केन्द्रों तथा आत्मनुशाशन के विकास हेतु बाल योगाभ्यास केंद्र आदि की स्थापना एवं संचालन करना

16 खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का प्रारम्भ,आगे बढ़ाना.इस प्रकार देशी वस्तुओं के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत करना एवं संस्था द्वारा खादी ग्रामोद्योग से वर्णित प्रयोजनाओं की पूर्ती हेतु प्रसिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं अनुसंधान के कार्यक्रम चलाना

17 युवाओ एवं महिलाओ को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन एवं सहयोग प्रदान करना जेसे कम्प्यूटर सिलाई कढाई बुनाई प्रशिक्षण टाईपिंग मोटर बाईडिंग उन्नत कृषि प्रशिक्षण एवं शासकीय योजनाओ के क्रियान्वयन में सहयोग करना

18 बाढ़ भूकम्प प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कोई आकस्मिक आपदाओं से प्रभावित लोगो की मदद करना एवं उनके लिए मदद एकत्रित करके उन तक पहुचाना एवं उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करना

19 गोसेवा के लिए गोशाला की स्थापना एवं संचालन करना तथा वन्य जीवो की सुरक्षा हेतु उपाय करना

20 ग्रामीण योजनाओ का प्रचार; जेविक कृषि जेविक खाद बनाने की विधि का प्रचार करना

President/Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary/Treasurer
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

समिति का पंजीयन क्र.........1962
समिति का पंजीयन दि.....8/3/2017
संशोधन नस्तीबद्ध का दि...25/11/2020

अति. रजिस्ट्रार

5.समिति के इस ज्ञापन–पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित है,संलग्न है ।

हम, अनेक व्यक्ति ,जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं ।

यह पंजीयन के समय ज्ञापन पत्र की नकल है, प्रबंधकारिणी की नामावली सूची नहीं है ।

क्र	अभिदाताओं के नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	घनश्याम साहू	कालीचरण साहू	म.नं.109 वार्ड नं.6 टौरिया मुहल्ला, छतरपुर मध्यप्रदेश	हस्ता/–
2.	मनोज कुमार यादव	शैलेन्द्र यादव	म.नं.305 ग्राम पोस्ट डुमरा तह. राजनगर जिला–छतरपुर मध्यप्रदेश	हस्ता/–
3	विजय बाबू शिवहरे	तस्सू प्रसाद शिवहरे	म.नं.104/1 वार्ड नं.4 साहू मार्ग टौरिया मुहल्ला, छतरपुर मध्यप्रदेश	हस्ता/–
4	अजय कुमार सोनी	दयाराम सोनी	म.नं.514/ग नए पावर हाउस के सामने सटई रोड, वार्ड नं34 छतरपुर मध्यप्रदेश	हस्ता
5.	कविता सेन	हरिशरण सेन	म.नं.107 ग्राम पोस्ट हरपालपुर तह.नौगांव जिला–छतरपुर मध्यप्रदेश	हस्ता/–
6	महेन्द्र कुमार पटेल	शिव बालक पटेल	म.पं.54 ग्राम कीरतपुर खुर्द पो.चुरयारी तह. गौरिहार जिला–छतरपुर मध्यप्रदेश	हस्ता/–
7	हेमलता साहू	जीतेन्द्र साहू	म.नं.73 मनिहारी मार्ग वार्ड 28 छतरपुर मध्यप्रदेश	हस्ता/–

प्रति
समितियों के रजिस्ट्रार

T.C.
15/12/2020
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एण्ड सोसायटीज
सागर (म.प्र.)

साक्षी
हस्ताक्षर :–हस्ता/–
साक्षी का नाम– शिव सहाय राजपूत
पिता का नाम – पृथ्वी राजपूत
पूर्ण पता– म.नं.339 वार्ड नं.4
मसीही हिन्दी स्कूल के पीछे
टौरिया मुहल्ला,छतरपुर मध्यप्रदेश

President/Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary/Treasurer
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

समिति का पंजीयन क्र........ 11962
समिति का पंजीयन दि.......... 8/3/2017
संशोधन नस्तीबद्ध का दि...... 25/11/2020

अस्सि. रजिस्ट्रार

(4) समिति के प्रबंध विनियमों व्दारा समिति के कार्यो का प्रबंध"शासक परिषद,संचालकों, सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है । जिनके नाम, पते तथा धन्धो का उल्लेख निम्नांकित है:—

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	उपजीविका
1.	घनश्याम साहू	कालीचरण साहू	अध्यक्ष	म.नं.109 वार्ड नं.6 टौरिया मुहल्ला छतरपुर म.पं.	दुकानदारी
2.	मनोज कुमार यादव	शैलेन्द्र यादव	उपाध्यक्ष	म.नं.305ग्राम पोस्ट डुमरा तह. राजनगर जिला—छतरपुर म.प्र.	कृषि कार्य
3	विजय बाबू शिवहरे	तस्सू प्रसाद शिवहरे	सचिव	म.नं.104/1वार्डनं.4 साहू मार्ग टौरिया मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	बीमा एजेन्ट
4	अजय कुमार सोनी	दयाराम सोनी	कोषाध्यक्ष	म.नं.514/ग नए पावर हाउस के सामने सटई रोड, वार्ड नं34 छतरपुर मध्यप्रदेश	वकालत
5.	कविता सेन	हरिशरण सेन	संयुक्त सचिव	म.नं.107 ग्राम पोस्ट हरपालपुर तह.नौगांव जिला—छतरपुरम.पं.	समाजसेविका
6	महेन्द्र कुमार पटेल	शिव बालक पटेल	सदस्य	म.पं.54 ग्राम कीरतपुर खुर्द पो. चुरयारी तह.गौरिहार जिला—छतरपुर म.प.	कृषि कार्य
7	हेमलता साहू	जीतेन्द्र साहू	सदस्य	म.नं.73 मनिहारी मागर्ब वार्ड 28 छतरपुर मध्यप्रदेश	कम्प्यूटर वर्क

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें, अस्सि. रजिस्ट्रार ... सागर

पंजीयन के समय ज्ञापन पत्र की प्रबंधकारिणी दर्शायी गई है । प्रबंधकारिणी मान्य नहीं है ।

President/Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary/Treasurer
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

समिति का पंजीयन क्र. 11963
समिति का पंजीयन दि. 8/3/2017
संशोधन नस्तीबद्ध का दि. 25/11/2.

अति. रजिस्ट्रार

परिशिष्ट ''अ''

(समिति नियमों का प्रारूप) संशोधित

(1) समिति का नामः– **''जन मानवोदय सोशल वेलफेयर समिति''** होगा ।

(2) समिति का कार्यालयः– म.नं.104/01 टौरिया मुहल्ला साहू मार्ग, वार्ड नं.04 छतरपुर तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) पिन. 471001 होगा।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्रः– ''संपूर्ण भारत '' होगा ।

(4) समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:–

1. सर्व धर्म जाति वर्गो के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का उनके सहयोग से तथा स्वतंत्र तौर पर एकल एवं सामूहिक कार्यक्रमों का सम्पादन एवं संचालन करना ।
2. महिलाओं/युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनााने का प्रयास करना ।
3. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए शिक्षण संस्थान/उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना ।
4. महिलाओं एवं युवाओं को आत्मनिर्भर एवं निराश्रित व्यक्तियों परित्यक्ता महिला विधवा एवं विकलॉगों को सामाजिक सम्मान पुनर्वास एवं सामाजिक सहायता दिलाना ।

5- **शिक्षा** - समस्त प्रकार की शिक्षा,स्कूल शिक्षा.उच्च शिक्षा (कॉलेज),विश्वविद्यालय,स्वस्थ्य शिक्षा ,चिकित्सा/सह चिकित्सा शिक्षा, आई.टी.आई., कम्प्यूटर, जैसी तकनीकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार,विकास एवं संचालन करना.(शासन वा संबंधित विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कर)स्कूल गैर व्यवसायिक कॉलेज की स्थापना करना एवं उन्हें सुचारू रूप से चलाना ,शारीरिक शिक्षा खेल एवं स्वस्थ्य से संबंधित कार्य करना.कम्प्यूटर ट्रेनिंग सैंटर की स्थापना कर प्रशिक्षण देना . युवक –युवकों को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण जेसे – रेफ्रीजरेशन , टी.वी.रिपेयरिंग , बुक बाईडिंग , फोटोग्राफी ,मोटर बाईंडिंग , लेदर वर्क ,कारपेंटरी मोबाईल रिपेरिंग इत्यादी के हुनर का प्रशिक्षण देना

6- **पर्यावरण** - पर्यावरण सुधार के लिए वर्कशॉप,सेमिनार,जागरूकता एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना, पर्यावरण संरक्षण ,स्वास्थ्य परिस्थतिकीय विज्ञान संप्रेषण, पर्यावरण सुरक्षा एवं पेयजल की व्यवस्था करना ,जल संवर्धन का कार्य करना , वाटरशेड योजना में भाग लेना , पर्यावरण हितेषी और सामाजिक तौर पर उचित तकनीको के द्वारा शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु कार्य करना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं पोधशाला स्थापना के लिए कार्य करना

7- स्वच्छता-समिति द्वारा ग्राम , नगर,पंचायत स्तर पर संपूर्ण स्वच्छता के लिए गंदा जल निकास एवं कचरा निस्तारण हेतु उचित प्रबन्धन एवं स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु कार्य करना

8- महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए सिलाई,कढाई, बुनाई फेशन डिज़ाइन,कला,नृत्य, गायन, वादन ,ब्यूटी पार्लर, मेंहदी, बुटिक, कांच, मोती की डिज़ाइन आदि कलाओ का प्रशिक्षण देना

9- शिक्षा के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास तथा सामाजिक विकास की शिक्षा देना व बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए समाज को प्रेरित करना

10- छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना एवं समय.समय पर कम्प्यूटर एवं दूरसंचार के प्रति जनचेतना के लिए प्रदर्शनियों , सेमिनारों व अन्य सांस्कृतिक व सामाजिक क्रियाकलापों का आयोजन करना ।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

President/Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary/Treasurer
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

समिति का पंजीयन क्र....11963
समिति का पंजीयन दि....8/3/201
संशोधन नस्तीबद्ध का दि..25/11/2

11- खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा संत व् महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन एवं संचालन करना तथा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरुस्कृत एवं सम्मानित करना.टेबल टेनिस,बालीबाल,तैराकी,तीरंदाजी आदि जैसे खेलों को प्रोत्साहन प्रसिक्षण एवं प्रतियोगिता का आयोजन करना, किकबॉक्सिंग, कबड्डी, जूडो, कराटे, ताईक्वान्डो, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं टूर्नामेंट व् प्रतियोगिताओं का आयोजन करना,एथलेटिक्स खेलों व् विभिन्न खेलों के आयोजन करना व् राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए प्रतियोगिताएं तथा नाटक काव्य गोष्ठियों का आयोजन करना.यातायात शिक्षा देना

12- विद्युत् बिलों के संग्रहण में शासन को सहयोग करना व विद्युत् बचत के लिए जनता को प्रेरित करना

13- आंगनवाड़ी में शासन की योजनाओ के क्रियान्वयन के लिए पोषण आहार वितरण कार्यक्रम में सहयोग करना

14- अनूसूचित जाती,जनजाति,पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग वा निर्धन शहरी एवं ग्रामीण युवकों,महिलाओं को जागरूकता शिविर के माध्यम से आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रसिक्षण देना.समाज में निरक्षरता उन्मूलन हेतु महिलाओं,पुरुषों एवं कामकाजी बच्चो के लिए रात्रि पाठ्शाला तथा प्रोढ़ शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करना एवं राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन करना

15- बालक - बालिकयों के शारीरक विकास हेतु बाल व्यायाम केंद्र मानसिक विकास हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालय, चारित्रिक विकास आत्म निर्भर बनाने हेतु बाल प्रयोग शालाएं, जिज्ञासु व बुद्धि के विकास हेतु बाल कोतुकालय जीवन के प्रति कला एवं आनंद की वृद्धि तथा कोमल भाव के विकास हेतु बाल तथा अभिनव केन्द्रों तथा आत्मनुशाशन के विकास हेतु बाल योगाभ्यास केंद्र आदि की स्थापना एवं संचालन करना

16- खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का प्रारम्भ,आगे बढ़ाना.इस प्रकार देशी वस्तुओं के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत करना एवं संस्था द्वारा खादी ग्रामोद्योग से वर्णित प्रयोजनाओं की पूर्ती हेतु प्रसिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं अनुसंधान के कार्यक्रम चलाना

17- युवाओ एवं महिलाओ को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिएं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन एवं सहयोग प्रदान करना जेसे कम्प्यूटर सिलाई कढाई बुनाई प्रशिक्ष्ण टाईपिंग मोटर बाईडिंग उन्नत कृषि प्रशिक्षण एवं शासकीय योजनाओ के क्रियान्वयन में सहयोग करना

18- बाढ़ भूकम्प प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कोई आकस्मिक आपदाओं से प्रभावित लोगो की मदद करना एवं उनके लिए मदद एकत्रित करके उन तक पहुचाना एवं उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करना

19- गोसेवा के लिए गोशाला की स्थापना एवं संचालन करना तथा वन्य जीवो की सुरक्षा हेतु उपाय करना

20- ग्रामीण योजनाओ का प्रचार; जेविक कृषि जेविक खाद बनाने की विधि का प्रचार करना

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

President/Secretary
Jan Manvodaya Social
...ur (M.P.)

Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary/Treasurer
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

समिति का पंजीयन क्र...11963
समिति का पंजीयन दि...8/3/2017
संशोधन नस्तीबद्ध का दि...25/11/2

1. सदस्यता :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें :–

अति. रजिस्ट्रार

(अ) संरक्षक सदस्यः– संस्था को जो व्यक्ति शुल्क के रूप में रूपये 1000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्यः– जो व्यक्ति संस्था को शुल्क के रूप मे रूपये 500 या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 500 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

(स) साधारण सदस्यः– जो व्यक्ति रूपये 10 रूपये प्रतिमाह या 120 रूपये प्रतिवर्ष शुल्क के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधरण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देयक चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी । ऐसे सदस्य व्दारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्मानीय सदस्यः– संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे समानीय सदस्य बना सकती हैं ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठ क में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देनें का अधिकार न होगा ।

(6) सदस्यता की प्राप्तिः– प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

(7) सदस्यों की योग्यताः– संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवष्यक हैं :–
(1) आयु 18 वर्ष कम न हो । (2) भारतीय नागरिक हो । (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो । (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

(8) सदस्यता की समाप्ति :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति समाप्त हो जावेगी :–
(1) मृत्यु हो जाने परं (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देना होगी ।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :–
(1) प्रत्येक सदस्य का नाम , पता तथा व्यवसाय, तारीख सहित हस्ताक्षर
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेष दिया गया हो व रसीद नं.
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(10) (अ) साधारण सभाः– साधारण सभा में नियम 5 में दर्षाये श्रेणी के सदस्य समावेषित होगें । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निष्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा , यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

अध्यक्ष　　　सचिव　　　कोषाध्यक्ष

President/Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary/Treasurer
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

(ब) प्रबन्धकारिणी सभाः— प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक 3 माह में होगी या आवश्यकतानुसार हुआ करेगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवष्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि का बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

(स) विशेष :— यदि कम से कम कुल संख्या(कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों व्दारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्षाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेंगी । विषेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवष्यक निर्देष जारी करने तथा समिति को परामर्ष देने का अधिकार होगा ।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः—

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना ।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी व्दारा प्रस्तुत हों ।
(च) संस्था व्दारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
(छ) बजट का अनुमोदन करना ।

समिति का पंजीयन क्र.......1196
समिति का पंजीयन दि......
संशोधन नस्तीबद्ध का दि......

अति. रजिस्ट्रार

(12) प्रबन्धकारिणी का गठनः— ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेगें । नियम 5(अ,ब,स) में दर्षाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा :—

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव (6) सदस्य—2

(13) प्रबंध समिति का कार्यकाल :— प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा,समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब कि कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी , किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्यः—

(अ) जिन उद्दश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आषय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
(ब) पिछले वर्ष का आय—व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल—अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।
(द) कर्मचारियों , शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।
(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना,जो साधारण सभा व्दारा समय—समय पर सौंपे जाए ।
(च) संस्था की समस्त चल—अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से होगी ।
(छ) संस्था व्दारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय व्दारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जायगी ।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

President/Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

Secretary/Treasurer
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

समिति का पंजीयन क्र......
समिति का पंजीयन दि.....8/3/2017
संशोधन नस्तीबद्ध का दि....25/11/20

अति. रजिस्ट्रार

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तु करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यो 2/3 मत से संषोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।
(झ) समिति द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी वित्तीय संस्था, बैंक आदि से ऋण, अनुदान या सहायता प्राप्त कर सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति की संपत्ति बंधक रखकर भी ऋण या वित्तीय सहायता प्राप्त की व्यवस्था कर सकेगी ।

(15) **अध्यक्ष के अधिकार:–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री व्दारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

(16) **उपाध्यक्ष के अधिकार:–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष व्दारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

(17) **सचिव(मंत्री) के अधिकार:–**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों, प्रस्तुत करना ।
(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।
(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 5,000/– व्यय करने का अधिकार होगा ।

(18) **संयुक्त सचिव के अधिकार** :–सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

(19) **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति की धनराषि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी व्दारा स्वीकृत व्यय करना ।

(20) **बैंक खाता:–** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूतिच बैठक या पोस्ट आफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूप्ये 5,000/– रहेंगे ।

(21) **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :–**
(1) अधि.की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची निर्धारित फीस के साथ फाईल की जावेगी ।
(2) अधि.की धारा 28 के अन्तर्गत संस्था के समस्त निधियों की परीक्षित लेखापत्रक निर्धारित फाईलिंग फीस के साथ के फाईल की जावेगी ।

(22) **संशोधन:–** संस्था के विधान में संषोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक,फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

(23) **विघटन:–** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

(24) **सम्पत्ति:–** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति(स्थावर) रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय व्दारा, दान व्दारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी ।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

President/Secretary, Jan Manvodaya Social Welfare Samiti, Chhatarpur (M.P.)
Secretary, Jan Manvodaya Social Welfare Samiti, Chhatarpur (M.P.)
Secretary/Treasurer, Jan Manvodaya Social ... (M.P.)

समिति का पंजीयन क्र....11963
समिति का पंजीयन दि.....8/3/2017
संशोधन नस्तीबद्ध का दि...25/11/2020

अंसि. रजिस्ट्रार

(25) पंजीयक व्दारा बैठक बुलाना :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों व्दारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवष्यक होने पर पंजीयक,फर्म्स एवं संस्थाऐं, को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ **विषय** निश्चित कर सकता है ।

(26) विवाद:– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज सागर सम्भाग, सागर

President/Secretary Jan Manvodaya Social Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)	Secretary Jan Manvodaya Social Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)	Secretary/Treasurer Jan Manvodaya Social Welfare Samiti,Chhatarpur (M.P.)

T.C.
15/12/2020

असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एण्ड सोसायटीज
सागर (म.प्र.)

जावक क्र. 920/22
दि. 19/9/22

प्ररूप–सात
(नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम1973(क्रमांक 44 सन(1973)की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1 सोसायटी का नाम, पूरा पता, जन मानवोदय सोशल वेलफेयर समिति (म.न. 104/01 चौरसिया मोहल्ला साहू मार्ग वार्ड नं-04, छतरपुर (म.प्र.)

मोबाईल नंबर तथा ई–मेल तथा आई.डी.– 8319331651 / janmanvodaya@gmail.com

2. सोसायटी का पंजीयन क्रमांक तथा तारीख 06/12/01/11963/17-08 मार्च 2017

3 साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख– 10 अप्रैल 2022

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल 25-04-2020 से 24-04-2023 तक

अनु क्रमांक	नाम,पिता / पति का ना	पता	मोबा. नंबर	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
(1)	श्री घनश्याम साहू / कालीचरण	109 वार्ड नं-06 चौरसिया मु. छतरपुर (म.प्र.)	7415918449	अध्यक्ष	दुकानदारी	[signature]
(2)	श्री मनोज कुमार यादव / शैलेन्द्र	305 ग्रा. पो.-डुमरा रजनगर छतरपुर (म.प्र.)	9993903537	उपाध्यक्ष	कृषि कार्य	[signature]
(3)	श्री विजय बाबू शिवहरे / दद्दू प्रसाद	104/1 वार्ड नं.-04 साहूमार्ग चौरसिया मु. - छतरपुर (म.प्र.)	8319331651	सचिव	बीमा एजेण्ट	[signature]
(4)	श्री रिंकी ओमरे / जगदीश	म.नं.-19 वार्ड नं.-01 भगत सिंह वार्ड राजनगर छतरपुर	8878129304	कोषाध्यक्ष	प्राइवेट नौकरी	[signature]
(5)	श्री राजकुमार अहिरवार / करन	464, उदमऊ तहसील - महाराजपुर छतरपुर	9630933636	संयुक्त सचिव	ठेकेदार	[signature]
(6)	श्री महेन्द्र कुमार पटेल / शिवबालक	54 ग्राम कीरत पुरखुर्द चुरयारी गोरिहार छतरपुर	9754540472	सदस्य	कृषि कार्य	[signature]
(7)	श्रीमती कविता सेन / हरिशरण	107 ग्रा. पो.-हरपालपुर छतरपुर (म.प्र.)	8963946081	सदस्य	समाज सेविका	[signature]

5 मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क्र.44सन् 1973)की धारा 27 के अधीन 4040/- रूपये की वार्षिक फीस, ऑनलाईन चालान दिनांक 09-01-22 के माध्यम से जमा कर दी गई है उसकी प्रति संलग्न है चालान आईडेन्टिफिकेशन नंबर (CIN 05/9999999/1475/09/22/00310) है ।

घोषणा

मैं विजय बाबू शिवहरे पुत्र / पुत्री / पत्नी स्व. श्री दद्दू प्रसाद आयु लगभग 42 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है । सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य में हैं । मैं यह जानता / जानती हूँ कि यदि मेरे व्दारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है, तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी ही रहूँगा / रहूँगी ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम विजय बाबू शिवहरे
पदनाम(अध्यक्ष / सचिव) सचिव
मोबाईल नंबर 8319331651
ई–मेल आई.डी. vijayshivhare93@gmail

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत प्रस्तुत की गई शासी निकाय की सूची को ... पदाधिकारी ... प्रमाणपत्र/आदेश ... कार्यालय के संज्ञान

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

16/9/2022

असि.रजिस्ट्रार,
फर्म्स एवं संस्थाएं,
सागर संभाग

Secretary
Jan Manvodaya Social
Welfare Samiti, Chhatarpur (M.P.

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for provisional registration

1	PAN	AADAJ0101F
2	Name	JAN MANVODAYA SOCIAL WELFARE SAMITI
2a	Address	
	Flat/Door/Building	01
	Name of premises/Building/Village	
	Road/Street/Post Office	Chhatarpur
	Area/Locality	CHHATARPUR
	Town/City/District	Chhatarpur H.O
	State	Madhya Pradesh
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	471001
3	Document Identification Number	AADAJ0101FE2021601
4	Application Number	617276300011021
5	Unique Registration Number	AADAJ0101FE20216
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional registration is being granted	02-Sub clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A
7	Date of provisional registration	14-10-2021
8	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally registered	From AY 2022-23 to AY 2024-2025
9	Order for provisional registration:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional registration with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the provisional registration by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	Conditions subject to which provisional registration is being granted	
	The provisional registration is granted subject to the following conditions:-	

	a. As and when there is a move to amend or alter the objects/rules and regulations of the applicant, prior approval of the Commissioner of Income Tax shall be sought along with the draft of the amended deed and no such amendment shall be effected until and unless the approval is accorded.
	b. In the event of dissolution, surplus and assets shall be given to an organization, which has similar objects and no part of the same will go directly or indirectly to anybody specified in section 13(3) of the Income Tax Act, 1961.
	c. In case the trust/institution is converted into any form, merged into any other entity or dissolved in any previous year in terms of provisions of section 115TD, the applicant shall be liable to pay tax and interest in respect of accreted income within specified time as per provisions of section 115TD to 115TF of the Income Tax Act, 1961 unless the application for fresh registration under section 12AB for the said previous year is granted by the Commissioner.
	d. The Trust/ Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.
	e. The registration u/s 12AB of the Income Tax Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction u/s 80G.
	f. Order u/s 12AB read with section 12A does not confer any right of exemption upon the applicant u/s 11 and 12 of Income Tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each Financial Year relevant to the Assessment Year and all the provisions of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.
	g. No change in terms of Trust Deed/ Memorandum of Association shall be effected without due procedure of law and its intimation shall be given immediately to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax. The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.
	h. The Trust/ Society/ Non Profit Company shall maintain accounts regularly and shall get these accounts audited in accordance with the provisions of the section 12A(1)(b) of the Income Tax Act, 1961. Seperate accounts in respect of each activity as specified in Trust Deed/ Memorandum of Association shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/ to be carried on and the target group(s) (intented beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered/ Designated Office of the Organisation.
	i. The Trust/ Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the Income Tax Act, 1961.
	j. Seperate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of Income Tax Act, 1961.
	k. The registered office or the principal place of activity of the applicant should not be transferred outside the jurisdiction of Jurisdictional Commissioner of Income Tax except with the prior approval.
	l. No asset shall be transferred without the knowledge of Jurisdictional Commissioner of Income Tax to anyone, including to any Trust/ Society/ Non Profit Company etc.
	m. The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/ Institution/ Non Profit Company are not genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/ Institution/ Non Profit Company.
	n. If it is found later on that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the registration so granted is liable to be cancelled as per the provision u/s section 12AB(4) of the Act.

	o. This certificate cannot be used as a basis for claiming non-deduction of tax at source in respect of investments etc. relating to the Trust/ Institution.	
	p. All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account whose number shall be communicated to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax.	
	q. The applicant shall comply with the provisions of the Income Tax Act, 1961 read with the Income Tax Rules, 1962.	
	r. The registration and the Unique registration number has been instantly granted and if, at any point of time, it is noticed that form for registration has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rule (1) or (2) of rule 17A or by not complying with the requirements of sub- rule (3) or (4) of the said rule, the registration and Unique Registration Number (URN), shall be cancelled and the registration and URN shall be deemed to have never been granted or issued.	
	Name and Designation of the Registration Granting Authority	Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax (Digitally signed)

Document certified by SIBICHEN K MATHEW <k.sibichen.mathew@incometax.gov.in>.

Digitally signed by
SIBICHEN K MATHEW
Date: 202[illegible].10.14
20:52:43 IST

INCOME TAX DEPARTMENT

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for provisional approval

1	PAN	AADAJ0101F
2	Name	JAN MANVODAYA SOCIAL WELFARE SAMITI
2a	Address	
	Flat/Door/Building	01
	Name of premises/Building/Village	
	Road/Street/Post Office	Chhatarpur H.O
	Area/Locality	Chhatarpur
	Town/City/District	CHHATARPUR
	State	Madhya Pradesh
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	471001
3	Document Identification Number	AADAJ0101FF2022101
4	Application Number	599992300280422
5	Unique Registration Number	AADAJ0101FF20221
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional approval is being granted	12-Clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G
7	Date of provisional approval	12-05-2022
8	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally approved	From 12-05-2022 to AY 2025-2026
9	Order for provisional approval:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional approval with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the provisional approval by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	The approval is granted subject to the following conditions:-	
	Specified violations	

	a. If at any time registration granted under section 12AB or approval granted under sub-section (23C) of section 10, is cancelled by the prescribed authority for specified violations as mentioned in sub-section (4) of section 12AB or under 15th proviso to sub-section (23C) of section 10, then approval under subsection (5) of section 80G shall be deemed to be withdrawn.	
	b. If, at any point of time, it is noticed that Form No. 10A has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rules (1) or (2) of rule 11AA or by not complying with the requirements of sub- rules (3) or (4) of the said rule, the Principal Commissioner or Commissioner, as referred to in sub-rule (5) of the said rule, after giving an opportunity of being heard, may cancel the approval granted in Form No. 10AC and Unique Registration Number(URN) issued under sub-rule (5) of the said rule, and such approval in Form No.10AC or such Unique Registration Number (URN) shall be deemed to have never been granted or issued.	
	Other violations	
	a. The institution or fund shall apply for approval within 6 months of commencement of the activities or at least 6 months prior to the expiry of period of provisional approval, whichever is earlier.	
	Name and Designation of the Approving Authority	Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax (Digitally signed)

INCOME TAX DEPARTMENT

Signature Not Verified

Digitally signed by
SIBICHEN K MATHEW
Date: 2022.05.12
23:18:24 IST

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AADAJ0101F

नाम / Name
JAN MANVODAYA SOCIAL WELFARE
SAMITI

निगमन / गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation
08/03/2017

15052017

JAN MANVODAYA SOCIAL WELFARE SAMITI

Unique Id of VO/NGO	MP/2019/0243052
DARPAN Reg. Date	06-08-2020

Registration Details

Registered With	Registrar of Societies
Type of NGO	Registered Societies (Non-Government)
Registration No	06/12/01/11963/17
Copy of Registration Certificate	Available
Copy of Pan Card	Available
Act name	1973
City of Registration	Chatarpur
State of Registration	MADHYA PRADESH
Date of Registration (Society / Trust / Entity)	08-03-2017

Members

Name	Designation	Pan	Aadhaar
VIJAY BABU SHIVHARE	Secretary	Available	Available
KAVITA SEN	Joint Secretary	Available	Available
AJAY KUMAR SONI	Treasurer	Available	Available

Sector/ Key Issues

Key Issues	Agriculture,Animal Husbandry, Dairying & Fisheries,Children,Education & Literacy,Environment & Forests,Health & Family Welfare,HIV/AIDS,Legal Awareness & Aid,Micro Finance (SHGs),Minority Issues,Nutrition,Rural Development & Poverty Alleviation,Science & Technology,Tribal Affairs,Vocational Training,Women's Development & Empowerment
Operational Area-States	MADHYA PRADESH
Operational Area-District	MADHYA PRADESH->Chhatarpur, Gwalior, Datia, Shivpuri, Tikamgarh, Panna, Sagar, Damoh, Satna, Rewa, Vidisha, Katni , Narsimhapur, Mandla, Seoni, Balaghat, Guna, Shahdol, Anuppur, Singrauli, Jhabua, Alirajpur

FCRA details

FCRA Available	FCRA Registration no.
Not Available	Not Available

Details of Achievements

Not Available

Source of Funds

Department Name	Source	Finacial Year	Amount Sanctioned	Purpose
Not Specified	Any Other	2017-2018	Not Specified	fund not received to NGO

Not Specified	Any Other	2019-2020	Not Specified	NO FUND RECIVED IN THIS FINNACIAL YEAR NEITHER STATE OR CENTRAL
Not Specified	Any Other	2020-2021	Not Specified	NO FUND RECIVED IN THIS FINNACIAL YEAR NEITHER STATE OR CENTRAL

Contact Details

Address	104/1 TORIYA MOHALLA SAHU MARGE WARD NO 04 CHAATARPUR
City	Chatarpur
State	MADHYA PRADESH
Telephone	Not Available
Mobile No	8319331651
Website Url	Not Available
E-mail	janmanvodaya(at)gmail[dot]com
Last modified on	26-09-2019

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Page No.
0

(53)

याद रखें / Remember:

- आपके खाते में नवीनतम केवायसी, नामांकन, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन होने चाहिए.
  Your account should be updated with your latest KYC, Nomination, Mobile number & Email ID
- अपनी पासबुक को सावधानी पूर्वक रखें. अपनी पासबुक पर हस्ताक्षर न करें. पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करें. किसी भी प्रकार की विसंगति होने की सूचना तत्काल दी जानी चाहिए.
  Preserve your passbook carefully. Do not put your signature on passbook. Get passbook updated regularly. Any discrepancy should be notified immediately.
- कृपया अपनी व्यक्तिगत जानकारी, प्रयोक्ता आईडी, पिन, पासवर्ड, सीवीवी संख्या किसी को न बताएं. कॉल या ई-मेल के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी मांगे जाने पर शाखा को सूचित किया जाना चाहिए.
  Please do not give your personal information, user IDs, Pins, Password, CVV number to anyone. Any calls or emails requesting for such information should be notified to the branch.
- खाते के लिए पहली पासबुक निःशुल्क होगी. शुल्क का भुगतान किए जाने पर डुप्लीकेट पासबुक उपलब्ध करवायी जाएगी.
  First passbook in account is free. Duplicate passbook may be provided on payment of fee.
- प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 50 डेबिट (स्थायी अनुदेशों, वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों, सेवा प्रभारों से संबंधित प्रविष्टियों को छोड़कर) की अनुमति होगी. 50 प्रविष्टियों से अधिक लेन देन होने पर प्रभार लगाया जाएगा.
  50 debits (excluding Standing instruction, Alternate Delivery Channels, related to service charges) per half year is permitted. Transaction exceeding above 50 will be charged.
- ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर खाते में जमा किया जाएगा.
  Interest is calculated on daily basis and credited to accounts within 15 days of end of quarter.

Branch Name : PANNA ROAD CHHATARPUR Phone :
Branch Address : CHHATARPUR GARG PLAZA,OPPOSITE PANNA ROAD,CHHATIKARA,MADHYA PRADESH,INDIA

Branch Email ID : vjchha@bankofbaroda.com
MICR Code : 471012004 IFSC : BARBOVJCHHA [Fifth character is zero]
Customer ID : F09V00680 PPO NO : NA
Account Number : 64820100001444 A/c Opening Date : 23-03-2017 00:00:00
Account Name : JAN MANVODAYA SOCIAL WELFARE SAMITI CHHATARPUR
Address : MAKAN NO 704/1 TORIYA MOHALLA SAHU MARG
: WARD NO.4
: CHHATARPUR MP 471001
Nominee Name : GHANSHYAM SAHU